(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

उद्दालाल बनाम देऊ वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 02 सन् 2024

2024/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
08.01.24	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 518, 754, 755, 756/1, 757 कुल किता 05 कुल रकबा 3.2244 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां, पटवार हल्का बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाज्य आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 है। शेष हिस्सा 5/6 संयुक्त रूप से प्रतिपक्षीगण का है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने उक्त हक व हिस्से के मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकार है। प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के मध्य आपस में विधिवत् रूप से तकास्मा नही होने के कारण आपस में विवाद होता रहता है तथा प्रतिपक्षीगण बिना विधिवत् तकास्मा करवाये भूमि को अजनबी व्यक्ति को रहन, दान, बेचान करने पर आमादा हैं तथा जबरन प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजामहत कर लडाई झगड़ा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 04 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रकरण में प्राइमाफेसीयॉ केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 04 उक्त वर्णित आराजीयात में संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 04 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात में बिना विधिवत् तकास्मा के रहन, दान, बेचान नहीं करे। प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग में मजामहत एवं मदाखलत नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 01.02.2024 को पेश हो।	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

01/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 21/03/24......पेश हो।
Ram

21/3/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 23/5/24......पेश हो।
Ram

23/05/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 30/07/24......पेश हो।
Ram

30/7/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 4/10/24......पेश हो।
Ram

04/10/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 11/12/24...पेश हो।
Ram

11/12/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 11/2/25......पेश हो।

11/02/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 15.04.25......पेश हो।
Ram

15/04/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली प्रति आदेशिका अनुसार दिनांक 25/06/25....पेश हो।
Ram

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...जज अदालत..मुकाम..

उदयलाल ....बनाम........देऊ बाई..

...कस्म मुकदमा..नं. 02 ....सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/6/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित सम्मन तलबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक ~~09-7~~-25 को पेश हो। [signature]	
09/07/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी पक्षकारान अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई, परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। अन्तिम आवाज साय: 5:00 बजे लगायी गई। उभयपक्ष अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	